सूचना

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ (भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्था) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त प्रदेश में स्थापित माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय को पठन-पाठन हेतु पाठ्य पुस्तकें प्रदान किये जाने की योजना है। आवेदन करने वाले संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय में कम से कम 25 विद्यार्थी पठन-पाठन / अध्ययन हेतु पंजीकृत हों। पुस्तक निर्गमन करने वाले पाठशालाओं के पुस्तकालय को पुस्कीय अनुदान में वरीयता दी जाएगी।

इच्छुक विद्यालय / पाठशालायें दिनांक 25/01/2025 तक अपना आवेदन डाक द्वारा अथवा संस्थान कार्यालय में हाथों-हाथ जमा कर सकते है। आवेदन प्रपत्र तथा नियम संस्थान की वेबसाइट www.upsanskritsansthanam.in पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस योजना का पूर्व में लाभ ले चुके विद्यालय/ महाविद्यालय इसके पात्र नहीं होंगें।

निदेशक

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्

नया हैदराबाद, लखनऊ-226007, उत्तर प्रदेश

पुस्तकालय अनुदान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में स्थापित महाविद्यालयों के पुस्तकालय को पुस्तकीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु)

(संस्कृत महाविद्यालय द्वारा भरा जाय)

1. महाविद्यालय का नाम- ....

पता- ....

जनपद का नाम-.............................. मण्डल का नाम :-............................ (पिन कोड).............

मोबाइल नं०/वाटसएप नं०:-....................................ई-मेल:-(कैपिटल लेटर में) ....

मान्यता का वर्ष :- ....वेबसाइट (यदि कोई हो):-...

2. सोसाइटीज पंजीकरण संख्याः- ....

3. महाविद्यालय द्वारा अर्जित उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों का विवरण -

....

....

4. सभी कक्षा मिलाकर पंजीकृत छात्रों की वर्तमान संख्या -

5. क्या महाविद्यालय में पुस्तकालय संचालित है? हाँ / नहीं

6. महाविद्यालय में पुस्तकालय केन्द्र हेतु पृथक् प्रकोष्ठ की व्यवस्था है? हाँ/ नहीं

7. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ....

(साक्ष्य के लिए पुस्तक परिग्रहण पंजिका के प्रथम तथा अंतिम परिग्रहीत पुस्तक वाले पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करें) -

8. क्या पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जाती है? (हाँ / नहीं)

(यदि हाँ तो पुस्तक निर्गमन पंजिका के अद्यतन पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

9. पुस्तकालय में निधानियों (अलमारियों) की संख्या-

10. जिनकी अभिरक्षा में पुस्तकालय संचालित है, उनका विवरण-

10.1 नाम ....10.2 पदनाम...............................

11. पंजीकृत छात्र/छात्राओं का विषयवार विवरण-

विषय	**शास्त्री प्रथमवर्ष**	**शास्त्री द्वितीयवर्ष**	**शास्त्री तृतीयवर्ष**	**आचार्य प्रथमवर्ष**	**आचार्य द्वितीयवर्ष**
साहित्य					
व्याकरण					
ज्योतिष आदि अन्य विषय					

वचन-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि-

1. मैनें संस्थान द्वारा निर्धारित समस्त नियमों व शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ लिया है।
2. मेरे द्वारा प्रदत्त समस्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. मेरे महाविद्यालय द्वारा किसी अन्य सरकारी संस्था से इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा है।
4. संस्थान की इस योजना का लाभ मेरे महाविद्यालय को इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है।
5. संस्थान द्वारा दी जाने वाली सामग्री का उपयोग मात्र महाविद्यालय पठन-पाठन में ही किया जायेगा यदि भविष्य में उपर्युक्त सामग्री का प्रयोग पठन-पाठन के अतिरिक्त कार्यों में पाया गया तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को उपर्युक्त सामग्री वापस करने के लिये मैं बाध्य होऊंगा।

हस्ताक्षर

(नाम व मुहर सहित)

नियम एवं शर्तें

1. उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय ही आवेदन के पात्र होंगे।

2. संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय में वर्तमान शैक्षिक सत्र में कम से कम 25 पंजीकृत विद्यार्थियों का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा।

3. विद्यालय / महाविद्यालय कम से कम 03 वर्ष पूर्व मान्यता होना चाहिये।

4. उ०प्र० सस्कृत संस्थान अथवा किसी अन्य सरकारी सस्था से इस प्रकार की योजना का लाभ न ही लिया गया है/लिया जा रहा है, इस आशय का undertaking (वचन पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

5. संस्थान द्वारा दी जाने वाली सामग्री का उपयोग मात्र विद्यालय पठन-पाठन में ही किया जायेगा, इस आशय का undertaking (बचन पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

6. पुस्तकालय से पठन-पाठन हेतु पुस्तकें निर्गमित करने वाले संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय को योजना का लाभ दिए जाने में वरीयता दी जाएगी।

7. संस्थान में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाएगी।

7. इस योजना के आंशिक एवं सम्पूर्ण भाग को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अधिकारों में निहित है।

निदेशक